उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या :68/2016/767/छप्पन-2016-34/2014

लखनऊ : दिनांक : 09 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कैप्टन अरूण कुमार को रूपये 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुक्रम में कै0 अरूण कुमार द्वारा 21 जुलाई, 2014 को निदेशालय में कार्यभार ग्रहण किया गया। चूँकि विभाग को कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) की सेवाओं की अभी और आवश्यकता है तथा उन्होंने अपने पत्र दिनांक 07.4.2016 द्वारा आगे भी सेवा करने की विभाग में सहमति दी है। अत- श्री राज्यपाल पायलट (फिक्स्ड विंग) कै0 अरूण कुमार जो दिनांक 29 मार्च, 2016 से 12000 किलोग्राम भार से अधिक जेट वायुयान हॉकर-900 एक्स0पी0 का को-पायलट के रूप में पृष्ठांकन रखते हैं, का मासिक पारिश्रमिक रूपये 4.50 लाख के स्थान पर रूपये 4.00 लाख से रूपये 6.00 लाख प्रतिमाह की रेन्ज में दिनांक 29 मार्च, 2016 से रूपये 5.00 लाख प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर 02 वर्ष (दो वर्ष) दिनांक 21 जुलाई, 2016 से 20 जुलाई, 2018 तक की संविदा अवधि बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त पूर्व शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम- 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

3- कै0 अरूण कुमार से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

कै0 अरूण कुमार, पायलट (संविदा सेवा)
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 68/2016/767(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा/हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- नियोजन अनुभाग-4

9- सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।